SHODH SAMAGAM
ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास

मान सिंह, Ph.D., राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय, गुड़ा, नीमकाथाना, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
मान सिंह, Ph.D.

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 14/10/2023
Revised on : -----
Accepted on : 21/10/2023
Plagiarism : 00% on 14/10/2023

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: 0%
Date: Oct 14, 2023
Statistics: 5 words Plagiarized / 3302 Total words
Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

शोध सार

लोकतंत्र राज्य स्तर पर विधान सभा एवं राष्ट्रीय स्तर पर संसद के रूप में ही होता और स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र नहीं होता और प्रशासक वर्ग ही भाग्य विधाता होता। यह महसूस किया गया कि यदि लोगों को भागीदारी बनाना है तो उन्हें विभिन्न संस्थाओं और विकास योजनाओं में भी भागीदार बनाना होगा। लोकतन्त्र आम लोगों तक ले जाने का यही एक रास्ता है। वास्तव में सच्चे लोकतंत्र में लोगों का विकास योजनाओं में भागीदारी का अवसर मिलना ही चाहिए। भारत में पंचायती राज शुरू करने के पीछे मूलभूत अवधारणा यह थी कि स्थानीय स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना हो सके जिससे लोग लोकतंत्रीय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का अनुभव बताता है कि मात्र प्रोजेक्ट बनाने से किसी क्षेत्र का समग्र विकास संभव नहीं है और यह लोगों तक विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों तक लाभ पहुंचाने में सक्षम नहीं है। बेराजगारी और गरीबी तथा कृषि विकास की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न हैं। देश में विभिन्न क्षेत्र विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं और उनकी विकास करने की क्षमता भी भिन्न–भिन्न है। अब विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाने की भी आवश्यकता हैं और विकास, सामाजिक रोजगार के लिये स्थानीय क्षमताओं का उपयोग भी किया जाना चाहिये इसलिये अब विभिन्न कार्यक्रमों में सामजस्य की आवश्यकता है ताकि योजना के उद्देश्यों स्थानीय आवश्यकताओं और पर्यावरणीय संतुलन के अनुसार क्षमताओं का उचित उपयोग किया जा सके।

मुख्य शब्द

स्वशासन, पंचायती राज, लोकतंत्र, ग्रामीण विकास, प्रशासन, सामुदायिक विकास.

प्रस्तावना

पंचायती राज का लक्ष्य निचले स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना था ताकि लोगों में ग्राम स्तर पर भागीदारी की भावना विकसित हो सके। जैसा कि महात्मा गाँधी ने कहा था लोकतंत्र में राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण आवश्यक है क्योंकि गिने–चुने शक्ति के केन्द्र विशाल जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यदि भारत को विकास करना है तो शक्तियाँ और जिम्मेदारियों में सभी की साझेदारी होनी चाहिए। हमारे गरीबी हटाने और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की असफलता इसी सत्य को उजागर करती है। ये सभी कार्यक्रम उच्च शिखर पर बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाये गये थे और इन्हें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी के बिना ही लागू किया गया था। इस प्रकार ये कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहे।

भारत में पंचायती व्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्रता के बाद की घटना नहीं है। वास्तव में, ग्रामीण भारत में प्रमुख राजनीतिक संस्था सदियों से ग्राम पंचायत रही है। प्राचीन भारत में, पंचायतें आमतौर पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली निर्वाचित परिषदें होती थीं। विदेशी प्रभुत्व, विशेष रूप से मुगल और ब्रिटिश और प्राकृतिक और मजबूर सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों ने ग्राम पंचायतों के महत्व को कम कर दिया था। हालाँकि, स्वतंत्रता– पूर्व काल में, पंचायतें गाँव के बाकी हिस्सों पर उच्च जातियों के प्रभुत्व के लिए साधन थीं, जो सामाजिक– आर्थिक स्थिति या जाति पदानुक्रम के आधार पर विभाजन को आगे बढ़ाती थीं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास का अध्ययन करना है:

- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण का अध्ययन करना।
- पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
- विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
- ग्रामीण विकास में स्थानीय स्वशासन की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध विधि व आंकड़ों का संग्रहण

भारत में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास का विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकडों का प्रयोग किया गया है। आंकडों को विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इन्टरनेट आदि से इकट्ठा किया गया है।

साहित्य समीक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में इस तरह की स्वशासन पद्धति के क्रियान्वयन को आवश्यक माना गया। गाँधीजी के अनुसार जब तक ग्रामीण जीवन को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाता तब तक भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकांश भारतीय गाँवों में निवास करते हैं। गाँव के जीवन को लोकतांत्रिक बनाने से हजारों ग्रामवासी अपने विकास कार्यों की देखभाल स्वयं कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का हल खोजने में भागीदारी करेंगे। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन में पंचायत व्यवस्था की स्थापना के सिद्धान्त को इसलिए शामिल किया गया, क्योंकि संविधान ने ऐसी आशा रखी थी कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगी।

महात्मा गाँधी द्वारा लिखित विलेज स्वराज 1962 में भी पंचायती राज के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि पंचायत राज की अवधारणा गाँधीवादी समाज कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित है, जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, आंशिक शक्तियों तथा सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के साथ होना चाहिए। गाँधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्राम निवासियों द्वारा चयनित पाँच जनप्रतिनिधियों की सभा से है।

डॉ. के. पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिन्दू पॉलिटी ए कन्सट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ इंडियाश् 1943 में ग्राम सभाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय जीवन और कार्यों की अभिव्यक्ति ग्राम सभाओं के माध्यम से ही होती है।

एस. आर. माहेश्वरी ने अपनी पुस्तक भारत में स्थानीय प्रशासन में उल्लेख किया है कि ग्रामीण जनता के रहन–सहन के स्तर में सर्वोन्मुखी सुधार करने का प्रयत्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में यह करोड़ों लोगों की समृद्धि की योजना भी है। सरकार गाँव के लोगों को वित्तीय तकनीकी सहायता की प्रेरणा देती है, किन्तु कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकांश काम स्वयं गाँव के लोगों को करना है। इसका अर्थ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता की वास्तविक शक्ति तथा भौतिक साधनों को प्रयुक्त करना चाहता है जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है। विकास कार्यक्रम अधिकांशतः जनता की जनता द्वारा तथा जनता के लिए परियोजना है। सामुदायिक कार्यक्रमों की तुलना उस उद्यान से की है जिसका पालन–पोषण किसी प्रशिक्षित माली ने किया है ।

पंचायती राज की अवधारणा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन् 1952 में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये सामुदायिक विकास की योजना प्रारंभ की गई। इसके बारे में माना जाता था कि यह गांवों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सुदृढ़ करेगी, किन्तु यह योजना लाभार्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों की निर्माण एवं क्रियान्वित में अल्प भागीदारी के चलते सफल नहीं हो पाई। यह महसूस किया गया कि सामुदायिक विकास योजना जब तक लोगों की योजना नहीं बनती तब तक यह अर्थहीन ही रहेगी। यह सोचा गया कि अधिकारी मात्र दिशा–निर्देश देंगे और आवश्यक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय एक्सटेंशन सेवा के अध्ययन के लिये बलवंत राय मेहता कमेटी नियुक्त की गई। इस अध्ययन दल ने दो महत्वपूर्ण बाते कहीः

- विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये।
- विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक ढांचा चुने हुये प्रतिनिधि या संस्थाओं के अधीन होना चाहिये।

कमेटी ने यह भी महसूस किया कि विकास की जिम्मेदारी और शक्ति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। सामुदायिक विकास तभी संभव है जब समुदाय अपनी समस्याओं को समझे साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आवश्यक शक्तियों का उपयोग अपने चुने हुये प्रतिनिधियों के माध्यम से करें। इस उद्देश्य के साथ कमेटी ने संवैधानिक रूप से चुने हुये स्थानीय निकायों की स्थापना कर उन्हें आवश्यक शक्तियां एवं अधिकार देने की सिफारिश की। कमेटी ने पंचायती राज को शासन की विकास योजनाओं में लोगों और उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी का माध्यम माना। इस प्रकार 'कमेटी ने पंचायती राज को स्थानीय सहयोग प्राप्त स्थानीय नेतृत्व और सरकार को जोड़ने वाली कड़ी बताया।' मेहता कमेटी द्वारा प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सर्वप्रथम सन् 1959 में राजस्थान एवं आंध्रप्रदेश में लागू किया गया। इसके बाद लगभग सभी राज्यों ने राज्य के नीति–निदेशक तत्व के रूप में पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में विभिन्न नियमों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया।

पंचायती राज प्रणाली की मूल अवधारणा है ''विकास की योजनाओं में लोगों की भागीदारी।'' आरंभ में यह सोचा गया था कि वे परिवर्तन और विकास के मार्ग की बाधाएं दूर करेंगी किन्तु कुछ समय बाद विभिन्न राज्य स्तरीय कमेटियों एवं अध्ययनों से यह पता चला कि पंचायती राज प्रणाली में कई कमियां है। इसके बाद सन् 1978 में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज प्रणाली की कार्यशैली का अध्ययन करने एवं अपनी सिफारिशे देने के लिये अशोक मेहता कमेटी गठित की गई। अशोक मेहता कमेटी ने अनुभव किया कि पंचायती राज प्रणाली मात्र शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण और जन–भागीदारी के लिये नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास एवं सूक्ष्म स्तर पर योजन निर्माण के लिये भी है। इसलिये कमेटी चाहती थी कि पंचायती राज संस्थाऐं कृषि, वानिकी, गृह उद्योग, कल्याणकारी गतिविधियों आदि जैसे विकास कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

विभिन्न गरीबी हटाओ योजनाओं और निचले स्तर पर अन्य संस्थाओं की स्थापना के साथ ही पंचायती राज प्रणाली और विकास योजनाओं एवं प्रशासन के बीच सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की गई। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिये प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार हेतु गठित जी. वीके राव कमेटी (1985) ने एवं जिला योजना पर विचार हेतु गठित हनुमंत राव कमेटी (1963) ने भी अपनी सिफारिशें भेजी। उदाहरण के लिये जी. वी. के. राव कमेटी ने जिला परिषद एवं जिला स्तरीय योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिये सिफारिशें दी और साथ ही निचले स्तर पर एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर योजनाएं बनाने के लिये सिफारिश की सन् 1986–87 में सिंघवी कमेटी ने पंचायती राज की परिकल्पना एवं विचारधारा प्रस्तुत की। इस कमेटी ने पंचायतों को ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की और अधिक जिम्मेदारी देने की सिफारिश की। कमेटी ने यह सिफारिश भी कि थी कि छोटे ग्राम समूहों की पंचायतो को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये। कमेटी ने जी. वी.के. राव कमेटी की इस सिफारिश का भी समर्थन किया कि प्रशासकीय ढांचे को पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहिये। सिंघवी कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने इस हेतु संविधान में बदलाव करने का भी सुझाव दिया।

पंचायती राज संस्थाओं की सीमाएं

पंचायती राज के विचार में इतने वर्षों में कुछ परिवर्तन जरूर आये हैं। प्रारम्भ में इसे एक संकीर्ण विचार माना गया किन्तु इसका विस्तार ग्रामीण विकास से लेकर आर्थिक योजना निर्माण तक पहुंच गया है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैः

- कमजोर वर्गों को पंचायती राज संस्थाओं में किस प्रकार की भागीदारी दी जाये यह भी स्पष्ट नहीं है।
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेषकर गरीबी उन्नमूलन कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट नहीं है।
- वर्तमान व्यवस्था में इसे विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु गठित संस्था के रूप में नहीं जाना जाता।
- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन, ढांचागत विकास और सामाजिक–आर्थिक कल्याण में भी समर्थ नहीं है।
- शक्ति के विकेन्द्रीयकरण का कार्य भी स्पष्ट नहीं है। हाल के वर्षों में यद्यपि शक्ति के विकेन्द्रीयकरण, पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की बातें तो बहुत होती है।

स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं का पिछला अनुभव आर्थिक विपन्नता एवं ध्यान दिया जाना ही रहा है। पिछले चार दशकों से अस्तित्व में होने के बावजूद भी पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की इकाई के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई है। पंचायती राज संस्थाओं के धीमे विकास के कुछ कारण निम्न हैः

1. निश्चित अवधि में नियमित चुनाव का अभाव,
2. विभिन्न राज्यों में ढांचागत, शक्तिगत एवं कार्यगत भिन्नताएँ,
3. कमजोर वर्गों, विशेषकर अ.जा., अ.ज.जा. पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की अपर्याप्त भागीदारी,
4. शक्तियों का अभाव,
5. आर्थिक स्रोतों की कमी और राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत अक्टूबर सन् 1952 में हुई। इस छोटी शुरुआत के लक्ष्य बड़े ही महत्वकांक्षी थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोगों की सोच को परिवर्तित करने, उनमें स्वावलम्बन की भावना का विकास करने और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ सहयोग की भावना का विकास करने के उद्देश्य से हुई। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अक्टूबर 1953 में पूरे देश में विकास योजनाओं में मदद करने के उद्देश्य से लागू की गई

थी। कई आलोचनाओं के बावजूद सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में अपना अल्प किन्तु महत्वपूर्ण योगदान दिया। विस्तृत कार्यक्षेत्र ग्रामीण विकास के निम्न सोपान हैः

- ग्रामीण विकास के प्रथम सोपान में कॉपरेटिव ग्रामीण प्रबंधक, सामुदायिक विकास, बिचौलियों का उन्मूलन, भू–सुधार, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण, कृषि में निवेश को बढ़ावा, सिंचाई उद्योग आदि सम्मिलित हैं। इन विकास गतिविधियों से उम्मीद की जाती थी कि ये ग्रामीण परिदृश्य को परिवर्तित करेंगी और लोगों को कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों की और प्रेरित करेंगी ताकि कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो सके। किन्तु इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि समग्र अर्थव्यवस्था में जरूर कुछ सुधार हुआ।
- द्वितीय सोपान में कृषि में नई तकनीकी का समावेश किया गया। इससे उत्पादन जरूर बढ़ा किन्तु ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। चतुर्थ योजना (1969–74) की शुरूआत से ही लघु कृषक विकास एजेन्सी सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेन्सी और सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम आदि के माध्यम से गरीबी उन्नमूलन के प्रयास शुरू किये गये। पांचवी योजना 1974–79 में अल्पतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा गरीबों के जीवन स्तर में सुधारने की कोशिश की गई।

इन कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिन्दु हैः

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर रोजगार की योजनाएं बनाना।
2. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा लघु कृषक विकास एजेन्सी, सीमांत कृषक श्रमिक एजेन्सी आदि का आकार और कार्यक्षेत्र बढाया गया। इनका लक्ष्य था विभिन्न कार्यक्रमों में वास्तविक सामंजस्य स्थापित करना।
3. अल्पमत आवश्यकता कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया।
4. पहाड़ी और जंगली क्षेत्नों एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों हेतु विशेष कार्यक्रम बनाये गये।
5. भूमि सुधार के क्षेत्र में कार्य किया गया एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाया गया।

एक अन्य ग्रामीण विकास की योजना जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। वह जवाहर रोजगार योजना है। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैरोजगार एवं अर्ध बैरोजगार लोगों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना। इस योजना का प्रयास है कि गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को संपूर्ण रोजगार उपलब्ध कराना। अक्टूबर 1993 में रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से 261 जिलों 2470 ग्रामीण गरीब ब्लाकों के लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया गया। इस योजना का उद्देश्य था कि कृषि कमजोर होने पर कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल सके। इस योजना का 40.30 लाख लोगों ने लाभ उठाया और 481 करोड़ मानव–दिवस उत्पन्न किये गए। पढ़े लिखे युवकों के लिये ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य है कि पढ़े लिखे बेराजगार लोग स्वयं का कोई लघु उद्योग शुरू कर सके, किन्तु दुर्भाग्य से ग्रामीण विकास के कार्यक्रम लोगों को योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में भागीदारी नहीं बना पाए। यह अनुभव किया गया कि जन योजनाऐं होने के बावजूद सामुदायिक विकास योजना एवं अन्य कार्यक्रम शासन के कार्यक्रम ही बनकर रह गये जिनमें अलग–अलग मात्रा में जन भागीदारी शामिल थी। पंचायती जन संस्थाएँ भी इन कार्यक्रमों के लिये जन समर्थन एवं सहयोग जुटा पाने में कमजोर एवं अप्रभावी सिद्ध हुई है।

यद्यपि विकास हुआ है लेकिन उसका लाभ अभी भी ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार तक नहीं पहुंचा है। अभी भी एक बड़ी संख्या ग्रामीण गरीबों एवं भूमिहीन श्रमिकों की है जिनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं आय के स्रोत उत्पन्न करने की महत्ती आवश्यकता है ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके। यद्यपि विगत वर्षा में शासन ने उपलब्ध संसाधनों की मदद से इस विशाल समस्या को हल करने की कोशिश की है किन्तु अभी भी ग्रामीण गरीबी को हटाने के लिये अधिक प्रभावी और कारगर ग्रामीण सेवाओं की आवश्यकता है।

इसके अलावा अनुभव बताता है कि सरकार के प्रयासों से ग्रामीण गरीबी कुछ कम हुई है, किन्तु जन भागीदारी और पर्याप्त सुसंगठित सांस्थानिक सहयोग के अभाव से विभिन्न कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम सामने नहीं आ पाये है इसलिये ऐसे प्रयास किये गये कि इन विशेष योजनाओं का लाभ वास्तविक गरीबों तक पहुंच सके। उदाहरण के लिये कमजोर वर्गों के लोगों को विकास के प्रयासों में प्राथमिकता दी गई ताकि समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाबद्ध निवेश का लाभ पहुंच सके।

स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास

स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है। उनका हमारे लोकतंत्र में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नयी पंचायती राज प्रणाली के दो मुख्य उद्देश्य हैः

- सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्रीय ढांचे का विकास करना।
- ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक उत्थान मुख्य उद्देश्य है ग्रामीणों का सामाजिक आर्थिक विकास और उनकी भागीदारी द्वारा उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास करना।

हमने देखा है कि भूतकाल में पंचायती राज संस्थाओं की उपलब्धियां किसी 'प्रकार प्रभावी एवं संतोषजनक नहीं रही हैं।' संविधान के 73 वे संविधान 1992 में एक नई बात सामने आई है पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के सशक्त माध्यम के रूप में सफल होना चाहिये। आठवीं योजना के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक विकास किया जाना है। इस योजना में ग्रामीण विकास को बहुत महत्व दिया गया है और इसे पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त धन और शक्तियां देकर निचले स्तर की संस्थाओं एवं आम लोगों की योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में भागीदारी के साथ सफल बनाने की अपेक्षा की गई है।

पंचायती राज संस्थाएँ प्रभावी क्रियान्वयन के लिये योग्य है, अतः क्रियान्वयन का स्तर भी सुधरने की आशा है। निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि उनके माध्यम से लोगों की आशानुरूप आर्थिक विकास दिया जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ वास्तव में सबसे निचले स्तर तक पहुंचे। संविधान की ग्यारवीं अनुसूची में 29 ऐसे विषय है जिनकी योजना निर्माण और क्रियान्व्यन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिये। ये सभी कार्य स्थानीय महत्व के है जैसे पेयजल, कृषि, भूमि एवं जल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पूरे देश में एक नयी पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है विकेन्द्रीयकरण को बढ़ावा एवं शक्तियों का पुनर्विभाजन। इसका लक्ष्य है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेदारियां देकर उन्हें स्थानीय समर्थन के साथ वास्तविक निर्णय का केन्द्र बनाना।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाएँ वे प्राथमिक संस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से गांव, ब्लॉक, और जिले के लोग लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा सके। शक्तियों का विभाजन यहां से प्रारंभ होना चाहिए क्योंकि यहीं से लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं, विशेषकर ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नींव है। ग्राम सभा एक ऐसा साधन है जहां, विकास पर चर्चा हो सकती है, विकास कार्यक्रम प्रारंभ किये जा सकते हैं, और विकास की योजनाओं के लाभार्थियों का चयन किया जा सकता है। आर्थिक उदारीकरण के चलते पंचायती राज संस्थाओं की उपयोगिता और बढ़ जाती है। वास्तव में वे योजना क्रियान्वयन और रोजगार उत्पन्न करने संबंधी योजनाओं पर नियंत्रण रख सकेंगी। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

ऐसी आशा की जाती है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण एवं स्वशासन के त्रिस्तरीय ढांचे की मदद से ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ेगी जैसा कि 73 वें संविधान संशोधन की मंशा है। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक शक्तियां देने के लिये केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ लगातार प्रयास कर रहा है।

इसके साथ ही ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय मदद में भी लगातार वृद्धि हो रही है।

संदर्भ सूची

1. देसाई, वसन्त, (1990) *पंचायती राज,* हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
2. मिश्रा, बी. एन. (1991) रूरल डवलपमेंट, *कुरुक्षेत्र,* मार्च, 1991।
3. शर्मा अशोक, (1995) *भारत में स्थानीय प्रशासन,* आर. बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर।
4. हीरवे इन्द्रा, (1989) पंचायती राज, *एट ग्रास रूट इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल,* वीकली जुलाई, 1989।
5. मेहता, बी. आर. (2000) कमेटी रिपोर्ट ऑन प्लान प्रोजेक्ट, प्लानिंग कमीशन, नई दिल्ली।
6. सुराना, राजकुमारी, (2000) *भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज,* राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर।
7. सुदीप्त कविराज (1988) *हमारा शासन कैसे चलता है,* अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
8. सिंह धर्मेन्द्र, (2017) *पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
9. बागवी तिलक व पाण्डेय शशांक, (2017) *गॉधी, जनजाति एवं ग्रामीण विकास,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
10. चौधरी लाखा, (2021) *ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

****